न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 33 / 2022 **दायर दिनांकः 05 / 12 / 2022**

उनवान

1. लड्डूबाई आयु 48 वर्ष पुत्री रामप्रताप पत्नी रामचन्द्र जाति धाकड निवासी आमली खालसा हाल निवासी अचरावां तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट.

उपस्थित :—
प्रार्थीया :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

आदेश **दिनाकः 30 / 01 / 2023**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीया उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू में खाता संख्या 80 के ख0न0 1758 का रकबा 1.85 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.85 है0 आराजी में हिस्सा 1/5 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबंदी सम्वत 2072—2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थिया का नाम प्रार्थना पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में सहवन से लड्डू बाई के स्थान पर लाड बाई अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थिया का सही नाम लड्डू बाई है जो कि उसक राशन कार्ड, आधार कार्ड, श्रमिक डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में भी लड्डू बाई नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत शेरगढ पंचायत समिति अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रूटि को दुरस्त करवाकर अपना नाम लाड

बाई के स्थान पर लड्डू बाई दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम लाड बाई कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आराजी ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू में खाता संख्या 80 के ख0न0 1758 का रकबा 1.85 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.85 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम लाड बाई के स्थान पर लड्डू बाई दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 लड्डू बाई आयु 54 वर्ष पुत्री रामप्रताप पत्नी रामचन्द्र जाति धाकड निवासी आमलीखालसा हाल निवासी अचरावां तहसील अटरू जिला बारां राज0 का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किया कि मेरे शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्ग्रम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू में खाता संख्या 80 के ख0न0 1758 का रकबा 1.85 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.85 है0 हिस्सा 1/5 दर्ज खाता चली आ रही है। मेरा नाम प्रार्थना पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में सहवन से लड्डू बाई के स्थान पर लाड बाई अंकित हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम लड्डू बाई है जो कि मेरे राशन कार्ड, आधार कार्ड, श्रमिक डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में भी लड्डू बाई नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत शेरगढ पं.स. अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिये है। मैं राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रूटि को दुरस्त करवाकर

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में लाड बाई के स्थान पर लड्डू बाई दर्ज करवाने की अधिकारिणी हूॅ। राजस्व कर्मचारीगणों के द्वारा किये गये गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से मेरा नाम लाड बाई कर देने से मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबंदी एवं अन्या दस्तावेजों में मेरा नाम भिन्न–भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही कर पा रही हूॅ। मैने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होनें माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

4. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू में खाता संख्या 80 के ख0न0 1758 का रकबा 1.85 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.85 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम लाड बाई के स्थान पर लड्डू बाई दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

5. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल रीछन्दा की प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 80 ख0न0 1758 की 1. 85 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम शामलाती खाते में लाड बाई पुत्री रामप्रताप दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थिया का 1/5 हिस्सा दर्ज है।

प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम लड्डू बाई पत्नी रामचन्द्र, भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र में लड्डू बाई पत्नी रामचन्द्र, भामाशाह कार्ड में लड्डू बाई, राशन कार्ड में लड्डू बाई, श्रमिक डायरी में लड्डू बाई पत्नी रामचन्द्र दर्ज है। ग्राम पंचायत शेरगढ का प्रमाण पत्र दिनांक 01.12.2022 अनुसार लाड बाई पुत्री रामप्रताप पत्नी रामचन्द्र का सही नाम लड्डू बाई है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया का सही नाम लड्डू बाई पुत्री रामप्रताप है। अतः उपरोक्त विवादित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम लड्डू बाई दर्ज करना उचित होगा।

6. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल रीछन्दा की खाता संख्या 80 ख0न0 1758 की 1.85 है0 आराजी में सहखातेदार लाड बाई पुत्री रामप्रताप के स्थान पर लड्डू बाई उर्फ लाड बाई पुत्री रामप्रताप दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां